dk;ky; iqfyl v/kh{kd tuin xks.Mk fnukad 21-02-2023

'kkfrHkax dh vk'kadk ds eísutj iqfyl }kjk dh x;h dk;Zokgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालाu न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

11 okjUVh vfHk;qä fxj¶rkj&

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना धानेपुर पुलिस ने 08 व थाना नवाबगंज पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

voS/k 'kjkc ds fu"d"kZ.k] fcØh o ifjogu ds fo#) tuinh; iqfyl }kjk dh xbZ dk;Zokgh&

01- Fkkuk othjxat }kjk dh x;h dk;Zokgh&

01. शान्ति देवी पत्नी सियाराम निवासिनी ग्राम खिरिया बनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–92/23, 02. मन्नू पत्नी ननके नि0 ग्राम खिरिया बनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–93/23, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02- Fkkuk rjcxat }kjk dh x;h dk;Zokgh&

01. शिवचंदर पुत्र रम्मनलाल नि0 ग्राम बनगांव डीहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–78/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

03- Fkkuk /kkusiqj }kjk dh x;h dk;Zokgh&

01. संतोष चौहान पुत्र रक्षाराम चौहान नि0 ग्राम पूरे सुकाली थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–58/23, 02. मुस्ताक पुत्र तौफीक अहमद उर्फ मनोहर नि0 ग्राम अलावल देवरिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–59/23, 03. गंगाराम सोनकर पुत्र जगमोहन नि0 ग्राम लालापुरवा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–60/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

ljkguh; dk;Z
çsl uksV
ehfM;k lsy] tuin xks.Mk
fnukad 21-02-2023

pksjh dh 01 vnn lkbfdy lfgr 01 vfHk;qä fxj¶rkj&

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने जनपद मे अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त शिवप्रसाद बारी उर्फ मूसे को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद साईकिल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 20.02.2023 को वादी गणेश दत्त मौर्य की की तिवारी टेन्ट हाउस खरगूपुर के पास से साईकिल चोरी की थी। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने साइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj¶rkj vfHk;qä&

01. शिवप्रसाद बारी उर्फ मूसे पुत्र राममिलन नि0 माली टोला कस्बा खरगूपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

cjkenxh&

01. 01 अदद चोरी की साईकिल।

iathÑr vfHk;ksx&

01. मु0अ0सं0–51/23, धारा 379, 411 भादवि0 थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

ljkguh; dk;l
çl ukV
ehfM;k l y] tuin xk.Mk
fnukd 21-02-2023

pkjh dh ekVjlkbfdy d lkFk 02 vfHk;Dr fxj¶rkj&

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वाहन चोरो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाईकिल के साथ 02 अभियुक्तों–01.रवि वर्मा, 02. शत्रुहन लाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि 01 वर्ष पूर्व हमलोगों ने यह मोटरसाईकिल रेहरा बाजार से चोरी की थी तथा फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर इसका प्रयोग कर रहे थे। अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj¶rkj vfHk;Drx.k&

01. रवि वर्मा पुत्र रामनरेश वर्मा नि0 दिलीप पुरवा मौजा भिटौरा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

02. शत्रुहन लाल वर्मा पुत्र स्व0 नीबर शर्मा नि0 गुम्मा फातिमा जोत सैदुल्ला नगर जनपद बलरामपुर।

iathd`r vfHk;kx&

01. मु0अ0सं0–104/23, धारा 411,420,467,468,471 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

cjkenxh&

01. 01 अदद चोरी की स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाईकिल।

fxj¶rkjdrkl Vhe&

उ0नि0 अमर सिंह मय टीम।

lJkguh; dk;Z
çsl uksV
ehfM;k lsy] tuin xks.Mk
fnukad 21-02-2023

yqV djus dk 01 vkjksih vfHk;qä fxj¶rkj&

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने जनपद मे अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा लूट करने के आरोपी अभियुक्त मयंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 20.02.2023 को अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी अमित कुमार शुक्ला का बैट्री रिक्शा मल्लापुर चौराहे से तिर्रेमनोरमा जाने हेतु बुक किया था कि रास्ते में अवैध असलहा का प्रयोग करते हुए वादी के साथ लूटकर 10,500 रूपये व एक मोबाइल फोन लेकर भाग रहे थे कि वादी व आस–पास के लोगो द्वारा अभियुक्त मयंकर तिवारी को पकड़ लिया गया था तथा मौके से 02 साथी अभियुक्त फरार हो गए थे। अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj¶rkj vfHk;qä&

01. मयंकर तिवारी पुत्र राम वकील तिवारी नि0 कंचनपुर फरेन्दा शुक्ल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

iathd`r vfHk;ksx&

01. मु0अ0सं0–83/23, धारा 394,411 भादवि0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।